



अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान टाईटल वाद संख्या- 4/2005-06

स्टेट ऑफ झारखण्ड।

वनाम

कनवर सिंह कान्डेयांग एवं अन्य।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, और तारीख
	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>यह दीवानी वाद दिनांक- 31.05.2005 को स्टेट ऑफ झारखण्ड की ओर से Suit for declaration of right title and interest and recovery of possession of suit property के लिए प्रतिवादी संख्या 1. कनवर सिंह कान्डेयांग, पिता- स्व० बिजय सिंह कान्डेयांग, 2. कनवर हो, पिता- परगना हो, 3. गंगाराम हो, पिता- बागुन हो सभी का ग्राम- मतकामहातु महाहुलसाई, थाना- कोल्हान संख्या 25 खुँटपानी ब्लॉक, थाना- चाईबासा मुफसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध दायर किया गया है। इस वाद में उभय पक्ष की ओर से वाद भूमि के समर्थन में कोई पैरवी नहीं की जा रही है, इससे प्रतीत होता है कि वदी प्रतिवादी को कोई अभिरुचि नहीं है।</p> <p>अतः उक्त के आलोक में वाद को खारीज किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।</p> <p> अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा</p>	